

युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कं.लि.

UNITED INDIA INSURANCE COMPANY LIMITED पंजीकृत और प्रधान कार्यालय 24 वाइटस रोड चेन्नै-600014 Regd & Head Office : 24 Whites Road Chennai -600014

व्यावसायिक क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रपत्र PROPOSAL FOR PROFESSIONAL INDEMINITY लेखापाल /सॉलिसिटर /बकील /कॉउन्स्ल /वित्तय सलाहकार को लागू

APPLICABLE TO ACCOUNTANTS/SOLICITORS/LAWYERS/COUNCELS/FINANCIAL CONSULTANTS

यह प्रस्ताव हस्ताक्षरित करें। सभी प्रश्नों के उत्तर दें। इस प्रस्ताव की पूर्णता व हस्ताक्षर प्रस्तावक या बीमाकर्ता को बीमा का संविदा पूर्ण करने के लिए बाध्य नहीं 🗦

This proposal must be signed. All questions must be answered. The completion and signature on this proposal does not bind the proposer or Insurer to complete a contract of Insurance.

यदि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जगह अपर्याप्त है तो कृपया अतिरिक्त पृष्ठ का उपयोग करें तथा उसे इस प्रस्ताव के साथ संलग्न करें । "there is insufficient space to answer questions, please use additional sheets and attach to this form

जब तक प्रस्ताव स्वीकृत तथा प्रीमियम प्रदत्त नहीं हो जाता तब तक कंपनी कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगी । The company does not asssume any liability until the proposal has been accepted and the premium paid.

- प्रस्तावक का नाम और पता

 Name and address of the Proposer
- कब स्थापित हुआ।
 When established
- िकए जा रहे कार्य का पूर्ण ब्यौरा (कृषया विवरणिका, सूचना पुस्तिका आदि,यदि कोई तथा उसमें प्रविष्ठ संविदा की नमूना प्रति संलग्न करें)
 Full details of work carried on (Please attach brochure, information booklet, etc., if any & specimen copy of contracts entered into)
- 4. क) सभी भागीदारों/निदेशकों/प्रिन्सिपल पूर्ण अर्हता अर्हता प्राप्ति की मुख्य रूप से इस क्षेत्र में कब से हैं का पूर्ण नाम तारीख a) Names in full of all Qualifications in full Partners/Directors/ qualified practice

- ख) किसी भागीदार / प्रिसिंपल जो नहीं है या भर गया है के पहले कार्य के बारे में आवरण अपेक्षित है ? हाँ/नहीं।यदि हाँ,कृपया निम्न विवरण दें।
- b) Is the coverage required in respect of past work for any Partner/
 Principal who has left, retired or died? YES/NO If yes please give the following

पूर्ण नाम Full Name

अईता Qualifications मुख्य रूप से इस क्षेत्र मे कब से है How long Principals in this practice

5. दर्शाप

State

- क) अर्हता प्राप्त लेखापालों / वकीलों की संख्या
- a) No. of qualified Accountants/Lawyers व्यवसायिकों की सं.
 No. of Professionals लिपिक,टंकक,ऑफीस बॉय आदि समेत प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या,

No. of Administrative personnel including clerks, typists, office boys, etc., प्रशिक्षु की संख्या

No. of apprentice

1

- ख) देव वार्षिक वेतन की कुल राशि
- b) Total amount of annual wages payable
- 6. क्या आप आपके संगठन के बाहर भी व्यस्त रहते हैं । यदि हाँ, आपके द्वारा किए गए (निर्माण की प्रतिलिपि संलग्न करें) निर्माण का प्रयोजन तथा प्रकार दर्शाएं ।
 Do you engage persons outside your organisation?
 If yes, specify the details of purpose and nature of control exercised by you over them (specimen contract be enclosed)

	Loss record for 5 वर्ष	मामला	नुकसान का प्रकार	नुकसान राशि
	Year	Cause	Kind of loss	Amount of loss
	19			
	19			
	19			
	19			
	19		and the same	
	 क्या आप पिछले 12 माह के दौरान पदच्युत हुए है या आपने कर्मचारीके किसी सदस्य को भूल, उपेक्षा, चूक या अन्य इस जैसे को ध्यान मे रखते हुए पदच्युत किया है (कृपया पूर्ण ब्यौरा दें) 			
		the past 12 months dismissed		
	dismissal of any member of staff on account of any ommission, neglect,			
	error or for like (please give full details)			
	9. क्या आपके किसी घटना से दावा उत्पन्न होने की संभावना के किसी उपेक्षा, भूल या चूक या अस्तित्व को जानते हैं।			
	Are you aware of any neglect, ommission or existance of any circumstance likely to give rise to a claim?			
	10. क) पिछले पांच वर्षों के	त्दौरान अर्जित वार्षिक फीस :	वर्ष	फी
	a) Annual fees e	arned during the last five years	Year	Fee
		1		
	ख) वर्तमान वर्ष के लि	ए अनमानित फीस		
	b) Estimated fees for the current year			
	11. पूर्ववर्ती बीमा इतिवृत्त			a de la companya del companya de la companya del companya de la co
	Previous Insuranc	ce History	lease the state of	
	12. आवश्यक क्षतिंपूर्ति की			See also be a see
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	required : Any one year		
	Limit of Indemnity	required . Arry one year		

14. आवश्यक बीमा अविध

tural.

तक

Period of Insurance required

From

to

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते है कि उपरोक्त विवरण तथा ब्यौरा सही है और मैं/हम ने कोई की वस्तुगत तथ्य गलत तरीके से कहा या प्रस्तुत नहीं किया है और कि मौजूदा समय में मेरे/हमारे तथा कंपनी के विरूध्द कि**सी स्वप्तवाही कार्य**, भूल या गलती के लिए कोई दावा पूर्वानुमानित नहीं है और मैं सहमत हूँ कि यह घोषणा मेरे/हमारे और बीमाकर्ताओं के बीच संविदा का आधार होगी। मैं/ हम यह भी सहमत करता हूँ/करते है कि लापरवाही कार्य, भूल या गलती या यह बीमा प्रारम्भणा से पहले दुराचरण के कारण उत्पन्न दावे के लिए बीमा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहीं होगी।

I/We hereby declare that the above statement and particulars are true and I/We have not supressed or misstated any material facts and that at the present time I/We have no reason to anticipate any claim being brought against me/our for any negligent act, error or ommission on my/our part and against the Company and agree that this declaration shall be the basis of contract between me/us and the Insurer.

I/we also agree that the indeminity under the insurance shall not be availed for claims arising out of acts of negligence, error or ommission or misconduct committed PRIOR to commencement of this insurance

तारीखः

Date:

स्थान :

Place

प्रस्तावक के हंस्ताक्षर Signature of Proposer

बीमा अधिनियम 1938 की घारा 41 Section 41 of the insurance Act, 1938

1. कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति को भारत मे जीवन या संपत्ति बीमा लेने, नवीकरण करने या चालू रखने के लिए, प्रलोभन के रूप में, देय कमीशन के पूरे या हिस्से की छूट या पॉलिसी में सूचित प्रीमियम की छूट दे या दिलाए और कोई व्यक्ति पॉलिसी लेने या चालू रखने के लिए ऐसी किसी छूट को स्वीकार नहीं करेगा जो बीमाकर्ता द्वारा प्रकाशित सूची या विवरणीका अनुसार अनुमत न हो ।

No person shall allow or offer to allow either directly or indirectly as an inducement to any person to take out or renew or continue an insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India any rebate of the whole or part of the commission payable or any rebate of the premium shown on the policy nor shall any person taking out or continuing a policy accept any rebate except such rebate as may be allowed in accordance with the prospectus or tables of the Insurer

2 इस धारा में उपबंधों का उल्लंघन करनेवाला व्यक्ति पाँच सौ रूपयों तक के लिए दंडनीय होगा।

Any person making default in complying with the provisions of this section shall be punishable with fine which may extend to Rs. 500/-